

20/02/19

वास्ते वादी साक्ष्य पत्रावली दिनांक 29/3/19 को पेश हो।

सहायक प्राध्यापक एवं कनिष्ठ कनिष्ठ (फास्ट ट्रेक) फलोदी

29/3/19

वादी अधिवक्ता उप।

वादी साक्ष्य हेतु

कई अवसर दिए जा चुके हैं आगामी पेशी तक साक्ष्य नहीं लाने पर वादी साक्ष्य बंद कर दिए जाएंगे। पत्रावली दिनांक 3/5/19 को पेश हो।

सहायक प्राध्यापक एवं कनिष्ठ कनिष्ठ (फास्ट ट्रेक) फलोदी

3/5/19

वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।

वादी अधिवक्ता को

साक्ष्य हेतु कई अवसर दिए के उपरान्त भी वादी अधिवक्ता द्वारा न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही साक्ष्य पेश किए गए। अतः वादी साक्ष्य बंद किए जाते हैं। वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य पत्रावली दिनांक 11/6/19 को पेश हो।

सहायक प्राध्यापक एवं कनिष्ठ कनिष्ठ (फास्ट ट्रेक) फलोदी

11/6/19

न्यायालय सत्र के दौरान जाए-बाए आकरने हागवर्ड जरी लेकिन वादी कि ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही वादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश किया गया। इसकी वजह से प्रतिवादी के वादी बंद आने नही किया जा रहा। अतः इस वाद को अदालत पेशी अदालत

FORM NO. III

AAP-A  
Crim-I

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं.

2014/00028

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

साक्ष्य में शरीर किये जाते हैं।  
पञ्जावली केवल शुमार केवल नम्बर से  
एक एक केवल दखिल अफतार हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रैक) फलोदी